



संदेश

भारत समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं वाला एक विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेकों भाषाएं और बोलियां व्यवहार में रही हैं जो देश की सामाजिक परम्पराओं की संवाहिका रही हैं। इसकी सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताएं इसे अद्भुत और असाधारण देशों की श्रेणी में सर्वोत्तम बनाती हैं। ये विविधताएं जनजीवन के रहन-सहन में ही नहीं अपितु भाषाओं के स्तर पर भी देखी जा सकती हैं।

हमारे संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए, हम प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाते आ रहे हैं। उस ऐतिहासिक निर्णय को ध्यान में रखते हुए राजभाषा हिंदी के विकास और समृद्धि के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से सरकारी कामकाज करना हम सब की नैतिक एवं संवैधानिक जिम्मेदारी है।

इसके लिए सरकार द्वारा तमाम पुरस्कारों, प्रोत्साहनों एवं प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की गई है। सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को इन व्यवस्थाओं का लाभ उठा कर सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाना चाहिए। निस्संदेह एक विदेशी भाषा की बजाय अपनी भाषा में काम करके हमें गर्व की अनुभूति होगी तथा इससे राष्ट्रीयता की भावना भी पुष्ट होती है।

मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्रालय तथा इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों में कार्यरत सभी अधिकारी और कर्मचारी मेरी इस अपील का सम्मान करते हुए अपना अधिकाधिक कार्य हिन्दी में करेंगे और अपने मातहतों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे।

हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को मेरी शुभकामनाएं।


(पबित्र मार्घेरिता)